न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **रामेश्वर प्रसाद चौधरी,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : **174** / 2025
CIS No. : 209/2025

लालुराम पिता भेरा, उम्र 26 वर्ष,
निवासी सडामानपुर, पुलिस थाना सलूम्बर, जिला–सलूम्बर(राज.)
स्थाई निवासी प्रतापपुरा ओरवारिया, पुलिस थाना गींगला, जिला–सलूम्बर(राज.)
(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Cri. Misc. Appl. No. 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है)

.....प्रार्थी / अभियुक्त

–::बनाम::–

राजस्थान राज्य

.....विपक्षी / अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. बसिलसिले
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–223 / 2025 पुलिस थाना, सलूम्बर
अपराध अंतर्गत धारा 305डी बीएनएस

उपस्थिति :–
(1) श्री कमल बाहेती, अधिवक्ता–प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
(2) श्री रणजीत पूर्बिया, राजकीय अभिभाषक–राज्य की ओर से।

–:: आदेश ::–

दिनांकः 27.05.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्त लालुराम की ओर से जमानत का हस्तगत **प्रथम** प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. जरिए अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2026 को पेश किया गया, जिसकी नकल राजकीय अभिभाषक को दिलाई गई। जमानत प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज किया गया। प्रकरण से संबंधित केसडायरी तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

2. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी / अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। परिवादी ने रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करवाई है। प्रार्थी / अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और ना ही वह पूर्व में किसी प्रकरण में सजायाब रहा है। वर्तमान प्रार्थी / अभियुक्त करीब 8–9 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस मामले के सह–अभियुक्तगण हरीश एवं देवीलाल की जमानत पूर्व में आप न्यायालय द्वारा मन्जूर की जा चुकी है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध में मृत्यु दण्ड एवं आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त अपने

परिवार में माता–पिता की सेवा करने वाला अकेला व्यक्ति है, जिसके अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने से उसके माता की सेवा चाकरी संकटमय हो जावेगी। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निवासी है, जिसके भाग जाने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेशित सभी शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त तर्को का विरोध कर तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध खगोलिया भैरव मंदिर में 5 छत्तर, सरसों का तेल व घी चोरी करने गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक अभिलेख निम्नानुसार होना बताया गया है।

क्र.सं.	**मुकदमा नं. मय नाम थाना**	**अपराध अंतर्गत धारा**	**विशेष विवरण**
01.	148/2025	331(1), 305–ए बीएनएस	विचाराधीन

अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.09.2025 को प्रार्थी भेरा ने पुलिस थाना, सलूम्बर को एक रिपोर्ट इस आशय की दी कि लगभग एक माह पूर्व मध्य रात्रि की बात है। वह रोजाना की तरह खगोलिया भैरव मंदिर, जोधसागर की भागल में प्रातः 7.00 बजे पूजा करने गया तो देखा कि मंदिर के तीन ताले टूटे हुए थे तथा मंदिर से 15 तौला के 5 छत्तर, 15 किलोग्राम दीपक के लिए रखा सरसों का तेल एवं 06.05 किलो घी चोरी हो गया, जिसकी आस–पास लोगों से पूछताछ की परंतु कहीं पर भी पता नहीं चला.....वगैरा की रिपोर्ट पर पुलिस थाना, सलूम्बर में मुकदमा सं. 223/2025 अपराध धारा 305–डी बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 305डी बीएनएस के आरोप प्रथम दृष्ट्या बनना पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

5. बहस पर विचार किया गया, पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया।

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से अपराध धारा 305डी बीएनएस का आरोप प्रथम दृष्ट्या बनना पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान हो चुका है। अब प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। केसडायरी में प्रार्थी/अभियुक्त के अन्य किसी प्रकरण में सजायाब होने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इस मामले के सह–अभियुक्त देवीलाल एवं हरीश के जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा

क्रमशः दिनांक 16.10.2025 व दिनांक 20.11.2025 को मन्जूर कर इन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए जा चुके हैं। वर्तमान प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह–अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में 18.05.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त लालुराम पिता भेरा, निवासी सडामानपुर, पुलिस थाना सलूम्बर, जिला–सलूम्बर(राज.) स्थाई निवासी प्रतापपुरा ओरवारिया, पुलिस थाना गींगला, जिला–सलूम्बर (राज.) ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु. सं. एतद्द्वद्वारा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा संख्या 223/2025 पीएस सलूम्बर के मामले में संबंधित विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके समक्ष 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) का निजी मुचलका एवं 25,000–25,000/रूपये (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो जमानतें विचारण में सहयोग करने व जमानत का दुरूपयोग नहीं किये जाने तथा अपराध की पुनर्रावृत्ति नहीं किये जाने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे तो उसे इस प्रकरण में तुरन्त जमानत पर रिहा किया जावे।

{रामेश्वर प्रसाद चौधरी}
सेशन न्यायाधीश,
सलूम्बर (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

{रामेश्वर प्रसाद चौधरी}
सेशन न्यायाधीश,
सलूम्बर (राज.)